

विकलांग उम्मीदवारों / दिव्यांगों के लिए सूचना

ऑनलाइन काउंसिलिंग पंजीकरण फॉर्म के उद्देश्य के लिए
विकलांग उम्मीदवारों / दिव्यांगों के तहत उप-श्रेणी:

उम्मीदवारों से विवरण-पुस्तिका और जाति एवं शारीरिक विकलांगता (पीएच) प्रमाणपत्र संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने का अनुरोध किया जाता है। यदि आवंटित मेडिकल/ डेंटल कॉलेजों (चिकित्सा/ दंत कॉलेजों) में उम्मीदवार उचित पीएच प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे आवंटित मेडिकल/ डेंटल कॉलेजों (चिकित्सा/ दंत कॉलेजों) में दाखिला की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर वह अन्यथा योग्य है तो उसकी श्रेणी बदल दी जाएगी।

योग्य लोको-मोटर विकलांग उम्मीदवारों को स्वयं को चार महानगरों में स्थित नीचे उल्लिखित विकलांगता आकलन बोर्डों में से किसी एक बोर्ड से प्रमाणित कराना होगा

- (i) वर्धमान महावीर कॉलेज और सफरदरजंग अस्पताल, अंसारी नगर, (रिंग रोड), नई दिल्ली-110029
- (ii) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ फजिकल मेडी सन एंड रिहैबिलिटेशन, हाजी अली, पार्क, के. खाद्व्य मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई- 400 034
- (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, 244, आचार्य जे. सी. बोस मार्ग, कोलकाता- 20
- (iv) मद्रास मेडिकल कॉलेज, पार्क टाउन, चेन्नई- 600003

लोकोमोटर विकलांग (एलडी) उम्मीदवारों को उपर्युक्त उल्लिखित नामित संस्थानों में अपने विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए संस्थान में रिपोर्ट करते समय जांच रिपोर्टों के साथ अपनी अक्षमता से संबंधित इलाज के कागजात लाने होंगे।

ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण कराते समय लोकोमोटर विकलांग (एलडी) उम्मीदवारों को अपनी पीएच उप-श्रेणी को निम्नलिखित तरीके से बताना होगा।

पीएच-1: निचले अंगों की 50%-70% तक की विकलांगता वाले लोकोमोटर विकलांग उम्मीदवार {4 मेट्रो शहरों में स्थित विकलांगता आकलन बोर्डों में से किसी एक द्वारा प्रमाणित}

पीएच-2: 40% से 50% से कम के बीच निचले अंगों की विकलांगता वाले लोकोमोटर विकलांग उम्मीदवार {4 मेट्रो शहरों में स्थित विकलांगता आकलन बोर्डों में से किसी एक द्वारा प्रमाणित}

संदर्भ: मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000", (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया संशोधन अधिसूचना दिनांक 21 दिसंबर, 2010), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पॉकेट-14, सेक्टर 8, द्वारका, नई दिल्ली - 110 077